आपदा प्रबंधन
के लिए राज्यों द्वारा संसाधनों
को सांझा करने
के विषय पर
विचार विमर्श सत्र

वर्तमान परिदृश्य

- आपदा प्रबंधन -मुख्य रूप से राज्यों की जिम्मेदारी है |
- स्थापित मानदंडों के अनुसार प्रभावित राज्य को केन्द्र द्वारा सहायता दी जाती है |
- एक बड़ी आपदा के दौरान, अन्य राज्य स्वत: ही प्रभावित राज्य की सहायता करते हैं- उड़ीसा सुपर साइक्लोन 1999 और गुजरात भूकंप 2001 |

वर्तमान परिदृश्य.....जारी

- बड़ी आपदाओं के बाद अन्य राज्यों द्वारा की जाने वाली सहायता में निम्नलिखित शामिल होते हैं:
  - आपदा अनुक्रिया के लिए प्रशिक्षित मानव संसाधन,
  - विशेष उपकरण,
  - आवश्यक राहत सामग्री,
  - आपातकालीन चिकित्सा सहायता
- राज्यों ने आपदा के बाद अपेक्षित पुनर्निर्माण के प्रयासों में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है
  - मकानों और सार्वजनिक बुनियादी ढांचे का पुनर्निर्माण

संदर्भ

- आपदा आने के बाद की स्थिति में अंतर-राज्य सहयोग
  - भारतीय राज्य-व्यवस्था की अनूठी विशेषता
  - शीघ्र और त्वरित अनुक्रिया और बहाली की व्यापक संभावनाएं
  - जिनमें निम्नलिखित से वृद्धि हुई है
    - बदलते जनसांख्यिकीय पैटर्न से और
    - समाज के महानगरीय स्वरूप से
- आपदा आने के बाद की स्थिति में राज्यों की परस्पर निर्भरता
  - सड़क, समुद्र और वायवीय नेटवर्क के कारण उत्पन्न सीमाएं
  - कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा राहत सामग्री पहुँचाने की आवश्यकता
- राहत सामग्री की आपूर्ति करने के लिए राज्यों द्वारा पहले ही संविदाएं और अनुबंध कर लिए जाते हैं

सहयोग क्षेत्र

- अनुक्रिया चरण:
- बड़े पैमाने पर आई आपदाओं के समय राज्य की अनुक्रिया क्षमता कम हो जाती है जिसके कारण बाहर से सहायता लेना जरूरी हो जाता है |
- ज्यादा से ज्यादा विशेषज्ञ टीमों को शीघ्र लामबंद करें|
- कम से कम समयसीमा में आपूर्ति को सुनिश्चित करें|
- दाता और प्राप्तकर्ता राज्यों को निम्नलिखित का निर्धारण कर लेना चाहिए
- किन क्षेत्रों में सहायता अपेक्षित है ?
- सहायता देने के लिए निबंधन और शर्तें?

जारी.....

- पूर्व तैयारी:
  - पूर्व चेतावनी और प्रसार
  - संचार नेटवर्क
  - विशेषज्ञ टीमों का प्रशिक्षण
  - सीमावर्ती जिलों में संयुक्त अभ्यास
  - आपदा के बाद की परिस्थितियों के लिए विशेष सुविधाओं का निर्धारण

जारी.....

- रोकथाम और शमन|
- जोखिम और संवेदनशीलता का मूल्यांकन (जैसे साझी नदी घाटियां, प्रौद्योगिकीय आपदाएं)|
- प्रशिक्षण देना और क्षमता बढ़ाना|
- संरचनात्मक और गैर-संरचनात्मक न्यूनीकरण के लिए अत्याधुनिक तकनीकोण का उपयोग |
- राज्यों में संस्थाओं के बीच परस्पर सहयोग|
- सूचनाओं और सुपद्धतियों का आदान-प्रदान|
- साझे हित के क्षेत्रों में अनुसंधान और विकास|

दृष्टिकोण को तय करने की प्रक्रिया

- राज्य की आपदा प्रबंधन नीति इस तरह की व्यवस्था करना |
- राज्यों द्वारा संसाधनों को साझा किए जाने की व्यवस्था को राज्य की आपदा प्रबंधन योजनाओं में शामिल करना |
- परस्पर सहायता करने के लिए आपदा प्रबंधन संहिताओं में संशोधन करना |
- आपदा के सभी चरण के दौरान आपसी सहयोग के लिए राज्यों के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करना |